न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
19/2024	03/02/2024	10/07/2025

1. मोहनलाल पुत्र मूलचन्द उम्र 48 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम धाउपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

वादी

बनाम

1. चन्दाराम गुर्जर पुत्र भौरीलाल गुर्जर निवासी ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
श्री रामकरण शर्मा :– वकील वादी।
श्री अरविन्द शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 1

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम चकमाला की नांगल, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.5000है0 है0 जो वादी की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिसमें वादी का 1/480 हिस्सा है तथा बाहमी बंटवारा कर वादी काबिज है। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है फिर भी वादी की शामलती भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन निर्माण कर कब्जा करना चाहते है इसलिए कोमन वाद कारण उत्पन्न होने से वादी अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की सुरक्षार्थ उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण पेश कर रहा है तथा वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज दखल करने के कारण अपनी संयुक्त खातेदारी की सुरक्षार्थ उक्त वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिये पेश कर रहा है। जिसमें अन्य सहखातेदारों से कोई अनुतोष नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात खसरा नम्बर 18 रकबा 1.5000है0 भूमि वाकै ग्राम चकमाला की नांगल में स्थित है। जो वादी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है जिसका उपयोग उपभोग वादी अपने हिस्से अनुसार करता चला आ रहा है तथा राजस्व लगान राजस्व में अपने हिस्से अनुसार जमा करवाता आ रहा है तथा उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात वादी की संयुक्त खातेदारी आराजियात है जिससे प्रतिवादीगण का कोई हक संबंध सरोकार नही है तथा वादी ने अपने संयुक्त खातेदारी भूमि के सुरक्षार्थ उक्त वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी

Scanned with OKEN Scanner

सं0 1 जबरन अन्य लोगों को साथ लेकर जो कि भूमाफिया व गुण्डा गिरोह का व्यक्ति है जिसका बिना किसी हक अधिकार के जबरन वादांकित भूम पर कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा है। प्रतिवादी नाजायज गिरोह बनाकर जबरन लठ के बल पर वादी की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 18 पर अतिक्रमण कर निर्माण कर वादी की शामलाती भूमि से जबरन बेकाबिज कर कब्जा करना चाहता है जो अवैधानिक है तथा वादी के शामलाती खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है इसलिये प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम चकमाला की नांगल पटवार हल्का रूपवास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर मे स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 1.5000है0 में स्थित वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि में नाजायज अतिक्रमण नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करें, ना ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन इत्यादि से करवायें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, की ओर से एडवोकेट श्री अरविन्द शर्मा वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश नही किया। अतः दिनांक 07.05.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

एडवोकेट श्री अरविन्द शर्मा ने छीतर पुत्र ग्यारसीलाल निवासी चकमाला की नांगल की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी में निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 के प्रार्थी खातेदार है। इसलिये उक्त प्रकरण में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार होने के कारण प्रार्थी को उक्त वाद मे पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे प्रार्थी न्यायालय को सही एवं वास्तविक तथ्यों से अवगत करवा सके। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 का अभी विधिवत बंटवारा नही हुआ है। और प्रार्थी उक्त भूमि के प्रत्येक अंश मे हित निहित होने के कारण प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी नही देकर सीधी बहस की तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें वादी को प्रतिवादी सं0 1 से ही वाद में अनुतोष चाही है। अन्य किसी खातेदार से कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया जावें। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम चकमाला की नांगल, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 1.5000है0 में वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि में नाजायज अतिक्रमण नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करें, ना ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन इत्यादि से करवायें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10/07/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

मोहनलाल बनाम चन्दालाल वगैराह

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 19/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम चकमाला की नांगल, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 1.5000है0 में वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि में नाजायज अतिक्रमण नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न नही करें, ना ही किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, परिवारजन इत्यादि से करवायें।

डिक्री आज दिनांक 10/07/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner